"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जून 2012—आषाढ़ 7, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2012

आदेश

क्रमांक 5367/1978/21-ब/छ.ग./2012.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, माननीय न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं.

No. 5367/1978/21-B/C.G./2012.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authories Act, 1987 (No. 39 of 1987), The Governor of Chhattisgarh, in consultation with Hon'ble Chief Justice of Chhattisgarh High Court, is pleased to nominate Hon'ble Shri Justice Abhay Manohar Sapre, Judge of Chhattisgarh High Court, Bilaspur as the Executive Chairman of the Chhattisgarh State Legal Service Authority.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.